



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939

No. 597]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 831(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली -110003 को या dgoffice.dgca@nic.in पर भेजे;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत यदि किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है, तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (..... संशोधन), नियम, 2017 है
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 39 ग मे, उप नियम (5) को खंड (क) के रूप में संख्यांकित किया जाए और खंड (क) को इस प्रकार पुनर्संख्यांकित करने के पश्चात, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-
“(ख) उप-नियम (1) के अधीन तालिका की मद संख्या () के सामने विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के संबंध में चिकित्सा योग्यता निर्धारण की विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति के धारक की आयु पचास वर्ष होने के पश्चात आधी रह जाएगी।

[फा. सं. एवी.11012/144/2015-ए (MoCA -110629)]

उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 को अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गए और अंतिम संशोधन तारीख 29 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-ii खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 23 जून, 2017 की सा.का.नि. 721(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 831(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or sent to dgooffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 39C, the sub-rule (5) shall be numbered as clause (a) thereof and after clause (a) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:-
“(b) The period of validity of medical fitness assessment in respect of the licences specified against items (iv) of the table under sub-rule (1) shall be reduced to half after the holder of the licence has attained the age of fifty years.”

[F. No. AV.11012/144/2015-A (MoCA-10629)]

UPMA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* number G.S.R. 721(E), dated the 23rd June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th June, 2017.